जोधपुर शहर का औद्योगिक विकास, शहर का एतिहासिक महत्व है और धार्मिक व पर्यटन क; दृष्टि से बढ़ते महत्व को देखते हुए अस्थायी आने वालों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है।

अत: वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जोधपुर शहर को अविलम्ब बी–2 श्रेणी का शहर घोषित कर केन्द्रीय कर्मचारियों एवं आम जनता को न्याय दें।

(iv) Need to set up small scale and other industries in Punia district of Bihar.

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार के पूर्णिया क्षेत्र की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जहां पर बेकारी के कारण लोग इधर उधर भटक रहे हैं। एक तो यह पिछड़ा क्षेत्र है ही, दूसरे सरकार के ध्यान नहीं देने के कारण इसकी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है।

सरकार ने दो जूट मिलों को खोलने का विचार किया है, अत: सरकार से अनुरोध है कि दोनों मिलों को विभिन्न स्थानों पर खोले, ताकि पूरे क्षेत्र के लोग समान रूप से फायदा ले सकें।

मैं उद्योग मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए तत्काल लघु उद्योग धंधों को स्थापित करायें। विशेषज्ञों की एक समिति भेजकर स्थिति का जायजा लेकर उपयुक्त लघु उद्योग धंधों का काम शुरू करायें, ताकि मति भ्रमित एवं चिन्तित नवयुवक पथभ्रष्ट होने से बचाए जा सकें। इस क्षेत्र में पटसन की भी अधिकता है। अत: कटाई एवं टाट-बोरा उद्योग, दरी एवं धागों से बने अन्य छोटे–छोटे उद्योगों को पनपा कर विकास की पूर्णता की जाये। साथ ही खादी उद्योग डेरी-फार्म लघु चर्म उद्योग आदि के लिये बेहतर भूमिका प्रदान की जाए। और सरकार राज्य सरकार को भी निर्देश दे कि इस क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति को सुधारने हेतु विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जन-जीवन सुखमय हो सके। इस क्षेत्र की जनता का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं तो सामान्य तो हो सके। यहां पर लघु उद्योग धंधों के विकास की पूर्ण सुविधायें उपलब्ध हैं। लघु उद्योगों में अधिक पूंजी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों को काम मिल सकेगा, यही नहीं पटसन से बनी वस्तुओं से तो विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकेगी। अत : इस ओर सरकार अपेक्षित कदम उठाये और इस तिमिरावृत्त क्षेत्र में प्रकाश की एक किरण तो अवश्य ही पहुंचायें।

(v) Problems of Extravt departmental employees of P & T department.

श्री राम लाल राही : (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन आप के माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं—

संचार सुविधा जनता के लिये दिनों–दिन दुरूह व दूभर होती जा रही है। इस के विकास में जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई लग रही है उस के अनुरूप विभाग देश की जनता को सुविधा दिलाने में असफल रहा है। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हर 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर उप-डाकघर खोले जा रहे हैं। यही नहीं जनसुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 किलोमीटर के मध्य अब पी० सी० ओ० की भी सुविधा की गई है परन्तु 90 प्रतिशत पी०सी०ओ० महीनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हालत में पड़े हैं। कोई देखने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में उप-डाकघर खोलने का आधार यदि अल्प बचत योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया होता और उपडाकघरों में लगे लोगों को वाजिब वेतन व सुविधायें दे कर उन से अल्प